

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,  
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या: S678/एसटीए/दस-82/2025

दिनांक: 29 दिसम्बर, 2025


सेवा में,

- 1- सचिव,  
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,  
देहरादून/पौडी/हल्द्वानी/अल्मोडा।
- 2- समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
प्रशासन/प्रवर्तन, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त कर पंजीयन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

विषय-प्रदेश के पर्वतीय मार्गों पर यात्री वाहनों के व्हीलबेस के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।


कृपया अवगत कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 14-03-2024 को परिचालन के माध्यम से पर्वतीय मार्गों पर यात्री वाहनों के व्हीलबेस सम्बन्धी मापदण्डों को संशोधित करते हुये कार्यालय के पत्र संख्या-727/एसटीए/दस-82/2024 दिनांक 14-03-2024 के द्वारा प्रदेश के समस्त परिवहन अधिकारियों को सूचित किया गया था, किन्तु उक्त पत्र के प्रस्तर-2 में "पर्वतीय मार्गों पर संचालित वाहनों के व्हीलबेस सम्बन्धी मापदण्ड" का लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हो गया है। अतः उक्त प्रस्तर में "पर्वतीय मार्गों पर संचालित वाहनों के व्हीलबेस सम्बन्धी मापदण्ड" के स्थान पर "पर्वतीय मार्गों पर संचालित यात्री वाहनों के व्हीलबेस सम्बन्धी मापदण्ड" पढा जाय।

2- उक्त पत्र इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

  
(सनत कुमार सिंह)  
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकरण,  
De उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि:- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(सनत कुमार सिंह)  
सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकरण,  
De उत्तराखण्ड।